महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक स्था./2/विविध/3/2017/6038-42 दिनांक 12/5/17

परिपत्र

प्राय: यह देखने में आया है कि विभाग से सेवानिवृत कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण यथासमय तैयार कर पेंशन कार्यालय को स्वीकृति हेतु नहीं भेजा जाता है तथा पेंशन कार्यालय से आक्षेप लगाया जाकर आक्षेप की पूर्ति हेतु लौटाये गये प्रकरणों को यथासमय आक्षेप की पूर्ति कर पुन: पेंशन विभाग को नहीं भेजा जाता है, जिससे सेवानिवृत कार्मिक को पेंशन परिलाभ भुगतान में विलम्ब होता है। वित विभाग द्वारा बकाया पेंशन प्रकरणों को गम्भीरता से लिया जा जाता है। राजस्थानि सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 89 के अन्तर्गत सेवानिवृति से 60 दिवस के पश्चात् पेंशन प्रकरण का निस्तारण होने की स्थिति में पेंशनर को ब्याज की देयता बनती है, जिससे राज्य सरकार पर अनावश्यक वितीय भार पड़ता है। पेंशन प्रकरणों का सेवानिवृति से पूर्व अथवा सेवानिवृति तिथि से 30 दिवस के अन्दर अन्दर निस्तारण करवाया जाना आवश्यक है।

अत: विभाग से सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण सेवानिवृति से 6 माह पूर्व पूर्ण तैयार कर पेंशन कार्यालय को भिजवावे यदि प्रकरण विभागीय जांच/न्यायिक कार्यवाही अथवा अन्य किसी ऐसे कारण से बकाया है, जिसकी पूर्ति में समय लगने की संभावना हो तो ऐसे प्रकरणों की वस्तुस्थिति से संबंधित अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग को अवगत कराते हुए पेंशनर के प्रोविजनल पेंशन के प्रस्ताव तैयार कर अनिवार्य रूप से स्वीकृति हेतु पेंशन विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे तथा कार्मिक के सेवानिवृति से पूर्व ही पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करावे।

(अजीत सिंह)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके निर्धारित दायित्वों में आपके अधीन कारागृहों से सेवानिवृत होने वाले कार्मिको के पेंशन प्रकणों का शीघ्र निस्तारण करवाने हेतु त्रैमासिक समीक्षा कर निस्तारण के निर्देश जारी करना भी सम्मिलित है। अत: अधीनस्थ कारागृहों के बकाया पेंशन प्रकरणों की त्रैमासिक समीक्षा करे व संबंधित कारागृहों को निर्देश जारी करते हुए इस कार्यालय को बकाया पेंशन प्रकरणों की सूची मय कारण प्रेषित करे।

2. मुख्यलेखाधिकारी, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
3. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान।
4. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
5. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर।
6. उपाधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर।
7. प्रभारी स्थापना, प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/सैटअप शाखा, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
8. प्रभारी कम्प्यूटर लैब वास्ते अपलोड हेतु।
9. रक्षक।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर